

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन

मुकदमा नंबर दावा / 101 / 2018

तारीख रजु 12.10.2018

### उनवान

फतेहसिंह पुत्र शिब्वी वगैरह जाति जाटव निवासी कोटवास तहसील हिण्डोन जिला करौली।  
—————वादीगण(05)

### बनाम

राकेश पुत्र रामखिलाडी वगैरह जाति जाटव निवासी कोटवास तहसील हिण्डोन जिला करौली।

—————प्रतिवादीगण (06)

उपस्थिति:-

वादीगण की ओर से :- श्री महेश मुदगल एडवोकेट।

प्रतिवादीगण की ओर से :-कोई उपस्थित नहीं


निर्णय

दिनांक 03.02.2020

संक्षेप में मामला इस प्रकार है कि वादीगण की ओर वकालतन एक दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा ग्राम कोटवास तहसील तहसील हिण्डोन के खसरा नंबर 4872/6098 , 5788 के संबंध में पेश किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। बार-बार आवाज दिलाने के उपरांत भी वादी पक्ष अनुपस्थित है ना ही प्रकरण में तलवाना पेश किया गया है।

अतः वादी का दावा मुकदमा नंबर 101/2018 फतेहसिंह बनाम राकेश अदम हाजरी एव अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 03.02.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखाया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

  
(सुरेश कुमार यादव )  
उपखण्ड अधिकारी  
हिण्डौन

